रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98

REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 1998/श्रावण 22, 1920
No. 45] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 1998/SRAVANA 22, 1920

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1998

सं. टी ए एम पी/9/98-टी पी टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण तूतीकोरिन पत्तन न्यास की भूमि के पट्टे पर देने के मामले में 'सेवा संगठन' के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए तमिलनाडु वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा किए गए अभ्यावेदन को एतद्द्वारा अस्वीकृत करता है, जैसा कि संलग्न अनुसूची में दिया गया है।

अनुसूची

तमिलनाडु वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन .....आवेदक

विरूद्ध

तूतीकोरिन पत्तन न्यास .....गैर-आवेदक

आदेश

(27 जुलाई, 1998 को पारित)

यह मामला प्राधिकरण द्वारा 1 जुलाई 97 को निर्णीत भूमि-पट्टा विषयक मामले में तमिलनाडु वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन (TNWC) द्वारा स्वंय को 'वाणिज्यिक वर्ग' की सूची में रखने के लिए किए गए अभ्यावेदन से संबंधित है। इस अभ्यावेदन पर प्राधिकरण ने 2 जून 98 को हुई अपनी दसवीं बैठक में विचार किया। यद्यपि उस समय सामान्य राय यह भी कि वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को 'वाणिज्यिक वर्ग' में समुचित रूप से रख लेना चाहिए किन्तु यह निश्चय किया गया कि तूतीकोरिन पत्तन न्यास (TPT)की टिप्पणी प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर ली जाए।

2. इस मामले पर तूतीकोरिन पत्तन न्यास से उनके 6 जुलाई 98 के पत्र द्वारा प्राप्त टिप्पणियों के संदर्भ में विचार किया गया। चूंकि पहले आदेशित वर्गीकरण पर पुनर्विचार करने के सुझाव के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यास के पत्र में कुछ भी उल्लेख नहीं था और वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' के रूप में वर्गीकरण की सामान्य प्रथा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने तमिलनाडु वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा किए गए अभ्यावेदन को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

[सं. ए डी वी टी/III/IV/143/96]

एस. सत्यम, अध्यक्ष

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 1998

No. TAMP/9/98-TPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby rejects a representation made by the Tamil Nadu Warehousing Corporation for recognition as a 'service organisation' in the case of lease of lands belonging to the Tuticorin Port Trust, as in the Schedule appended hereto.

SCHEDULE

The Tamil Nadu Warehousing Corporation .... Applicant

Vs.

The Tuticorin Port Trust .... Non-Applicant

ORDER

(Passed on 27 July 1998)

This case relates to a representation made by the Tamil Nadu Warehousing Corporation (TNWC) for listing it under the 'Service Category' instead of under the 'Commercial Category' in the land lease case decided by the Authority on 1 July 97. This representation was considered by the Authority in its Tenth Meeting on 2 June, 98. Although the general opinion then was that Warehousing Corporations ought properly to be placed under the 'Commercial Category', it was decided to await comments of the Tuticorin Port Trust (TPT).

2. The case was considered with reference to the TPT comments received vide their communication dated 6 July 98. Since there was nothing in the TPT communication to suggest a reconsideration of the categorisation earlier ordered, and bearing in mind the common practice of categorsing Warehousing Corporations as 'Commercial' concerns, the Authority decided to reject the representation made by the TNWC.

[No. ADVT/III/IV/143/98]

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998